

बिहार सरकार
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सं०सं०- खाद्य (निदे०)/प्र०-III-108/2024

855

खाद्य, पटना/दिनांक 30/05/2025

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत निम्न वर्गीय लिपिक को कॉलम-3 में अंकित कार्यालय से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं०	निम्न वर्गीय लिपिक का नाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नव पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री सोनू कुमार सिंह	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सारण, छपरा।	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना।

2. श्री सोनू कुमार सिंह, निम्न वर्गीय लिपिक नव पदस्थापित कार्यालय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना में अपना योगदान शीघ्र करना सुनिश्चित करेंगे।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
4. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।
5. दिनांक 06.06.2025 तक योगदान नहीं देने की स्थिति में दिनांक 07.06.2025 से स्वतः विरमित समझे जाएंगे।
6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(विभूति रंजन चौधरी)

निदेशक-सह-विशेष सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- खाद्य (निदे०)/प्र०-III-108/2024

855

खाद्य, पटना/दिनांक 30/05/2025

प्रतिलिपि:- निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- खाद्य (निदे०)/प्र०-III-108/2024

855

खाद्य, पटना/दिनांक 30/05/2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सारण, छपरा से अनुरोध है कि श्री सोनू कुमार सिंह, निम्न वर्गीय लिपिक को नव पदस्थापित कार्यालय में निर्धारित तिथि 07.06.2025 के पूर्व विरमित करने की कृपा की जाए।

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- खाद्य (निदे०)/प्र०-III-108/2024

855

खाद्य, पटना/दिनांक 30/05/2025

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/श्री सोनू कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/25

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- खाद्य (निदे०)/प्र०-III-108/2024

855

खाद्य, पटना/दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/5/25

निदेशक-सह-विशेष सचिव।